[11/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 2023]

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय
//आदेश//

02-01-18

भोपाल, दिनांक ~~दिसम्बर 2017~~

क्रमांक 22/3225/2017/18–5–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2010 के स्थान पर आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 अधिसूचित किया गया है। वेटलैण्ड नियम 2017 के बिन्दु क्र. 5 (1) के परिपालन में मध्यप्रदेश में राज्य आर्द्रभूमि (Wetland) प्राधिकरण का गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य **परिशिष्ट अ** अनुसार होंगे :–

1.	माननीय मंत्री,पर्यावरण विभाग,मध्यप्रदेश शासन –	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन अथवा समतुल्य अपर मुख्य सचिव –	उपाध्यक्ष
3.	पर्यावरण विभाग का भारसाधक प्रमुख सचिव –	सदस्य
4.	वन विभाग का भारसाधक सचिव –	सदस्य (पदेन)
5.	ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव –	सदस्य (पदेन)
6.	जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव –	सदस्य (पदेन)
7.	मत्स्य पालन विभाग का भारसाधक सचिव –	सदस्य (पदेन)
8.	पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव –	सदस्य (पदेन)
9.	राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव –	सदस्य (पदेन)
10.	निदेशक, राजय सुदूर संवेदी केन्द्र –	सदस्य (पदेन)
11.	मुख्य वन्यजीव वार्डन –	सदस्य (पदेन)
12.	सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड –	सदस्य (पदेन)
13.	सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड –	सदस्य (पदेन)
14.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का अपर प्रधान मुख्य संरक्षक –	सदस्य (पदेन)
15.	आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्य, भू–दृश्य योजना और सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में से प्रत्येक का एक विशेषज्ञ जिसे राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाए, और	
16.	पर्यावरण विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक –	सदस्य सचिव

राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण 3 से अधिक यदि अपेक्षित हो, अन्य सदस्यों का सह–चयन कर सकेंगे। प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी तथा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष की अवधि का होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
आदेशानुसार

(राजीव शर्मा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

/2/

पृ. क्र. 23 / 3225 / 2017 / 18–5 भोपाल, दिनांक 01-01-18 ~~दिसम्बर 2017~~

प्रतिलिपि

1. सर्वसंबंधित अध्यक्ष / सदस्य / सदस्य सचिव ।
2. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्रीजी,मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय ।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,पर्यावरण विभाग,मंत्रालय ।
5. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय मैदा मिल रोड भोपाल की ओर आगामी राजपत्र प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेषित।
6. उप संचालक, जनसम्पर्क प्रेस प्रकोष्ठ,मंत्रालय भोपाल।
7. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

CSP(VU)

O.I.C. .... नियमानुसार परीक्षण कर तत्काल निराकरण करें।

कार्यपालन यंत्री

5/1/18